

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - तारीख दायर तारीख फैसला
49/2018/प्रार्थना पत्र 15.03.2018 13.04.2018

उनवान

छोटूलाल पिता मगना जाट निवासी अरवड़ तहसील फूलियाकलां - प्रार्थी

बनाम

रामनारायण पिता जेदू कुम्हार निवासी नई अरवड़ तह० फूलियाकलां - विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट
उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षी के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 118 आ०न० 821 रकबा 0.73 है०, आ०न० 823 रकबा 0.63 है०, आराजी कुल किता 02 रकबा 1.36 है० भूमि स्थित है। पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षी पडोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.03.2018 को अप्रार्थी का सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 13.04.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम अरवड़ पटवार मण्डल अरवड़ संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 118 आ०न० 821 रकबा 0.73 है०, आ०न० 823 रकबा 0.63 है०, आराजी कुल किता 02 रकबा 1.36 है० का प्रार्थी खातेदार



काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षी के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 118 आ0न0 821 रकबा 0.73 है0, आ0न0 823 रकबा 0.63 है0, आराजी कुल किता 02 रकबा 1.36 है0 का प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 600/- (अक्षरे छः सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13.04.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



(मंवरलाल कांसोटिया)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(मंवरलाल कांसोटिया)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा